E-ISSN: 2583-9667
Indexed Journal
Peer Reviewed Journal
https://multiresearchjournal.theviews.in

Received: 16-11-2024
Accepted: 28-12-2024

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY

Volume 3; Issue 1; 2025; Page No. 24-27

राजनैतिक मानवधिकारों के क्षेत्र में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदान

सचिन कुमार

अस्सिटेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, शासकीय महाद्यिालय चिनौर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14748916

Corresponding Author: सचिन कुमार

सारांश

मेरा यह शोध–पत्र राजनैतिक मानव अधिकारों के क्षेत्र में महान योगदान करने बाले डॉ. भीमराव अम्बेडकर को समर्पित है। उनके जन्म के समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजों ने भारतीयों को मानवाधिकारों से वंचित कर दिया था। डॉ. भीमराव अम्बेडकर का व्यक्तिगत जीवन हमेशा मानव अधिकारों के उल्लंघन से प्रभावित रहा। उन्होने अमेरिका, ब्रिटेश एवं जर्मनी में बैरिस्टर एवं पीएच.डी की उच्चतर डिग्रियॉ हासिल की। भारत वापस आने के बाद वे बम्बई विधान परिषद एवं विधानसभा के सदस्य बने। वे बायसराय की कार्यकारिणी में श्रम मंत्री भी रहे। वे भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चैयरमैन भी रहे। इसके साथ–साथ वो भारत के आजाद होने पर नहेरू सरकार में भारत के प्रथम कानून मंत्री भी बने।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक महान विद्धान,राजनीति विज्ञानी,संविधानवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री एवं दूरदर्शी नेता थे। वे आधुनिक और लोकतांत्रिक भारत के महान रचियताओं में से एक है। दरअसल उनके व्यक्तित्व के अनेक आयाम है। डॉ.अम्बेडकर ने अपने जीवनकाल (1891–1950) में मनुष्य को अनेक प्रकार के मानवाधिकार दिलायें। ये मानवाधिकार नागरिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में दिलाये गये। इस शोध पत्र में हमने उनके द्वारा दिलायें गये राजनैतिक मानवाधिकरों को अध्ययन किया है। डॉ. अम्बेडकर ने राजनैतिक मानवाधिकरों में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने, मत देने और चुने जाने का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, संगठन (एसोसिएशन) बनाने का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार और शरण पाने के अधिकार दिलाये।

मूल शब्दः देशी रियासत, लोकतंत्रिक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, साईमन कमीशन, वयस्क मताधिकार,राष्ट्र–निर्माण, संम्प्रभुता,स्वतंत्र मजदूर दल, शिड्यूल कास्ट फेडरेशन।

प्रस्तावना

राजनैतिक मानवाधिकार

भूमिका– डॉ. भीमराव अम्बेडकर उच्चकोटि के राजनीतिक विचारक थे। उन्होने अनेक राजनीतिक मानवाधिकारों पर अपने विचार व्यक्त किये। वे मानते थे कि मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के साथ–साथ एक राजनीतिक प्राणी भी है। वे विश्व में प्राचीन काल से चली आ रही राजतंत्रात्मक व्यवस्था को शोषणकारी मानते थे। इसलिए उन्होने भारत की आजादी के बाद भारत की 563 देशी रियासतों में चली आ रही राजतंत्रात्मक व्यवस्था को कानून द्वारा समाप्त घोषित कर दिया। उसके बदले में वो भारत में नवीन लोकतांत्रिक व्यवस्था लाये। पुरातन राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा ही सभी राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र हुआ करता था। हालाकि सभी राजा शोषक नहीं थे। उनमें से कुछ राजा परोपकारी भी थे। कुछ राजाओं ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन में निर्णायक भूमिका निभाई थी। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते है कि डॉ.भीमराव अम्बेडकर को पढाने में छात्रवृत्ति देकर मदद करने वाले बडौदा रियासत के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ थे। एक दूसरे राजा कोल्हापुर रियासत के महाराज छत्रपति शाहू जी महाराज थे, उन्होने भी डॉ.भीमराव अम्बेडकर की उच्च अध्ययन एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में आर्थिक मदद की थी।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजा के प्रति चले आ रहे स्वामीभकित वाले नमक के सिद्धांत के भी विरोध में थे। उनका कहना था कि शोषणकारी व्यवस्था कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, वे उसमें सुधार के नहीं वरन् उसे जड से उखाडने में विश्वास करते थे। डॉ.भीमराव अम्बेडकर चाहते तो नमक के सिद्धांत के अनुसार राजाओं को भारत में आजादी के बाद भी बनाये रख सकते थे। लेकिन उनके लिए जनता के हित सर्वोपरि थे वे चाहते थे कि समस्त जनता राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल हो। इसलिए उन्होने संविधान निर्माता व आजाद भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की नीव रखी। डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजनीतिक मानवाधिकार को राज्य से भी अधिक महत्व देते थे। उनके विचार में राज्य का काम आंतरिक गड़बडी और ब्राहय आक्रमण के विरूद्ध व्यवस्था करना मात्र है वे राज्य को सर्वेसवा नहीं मानते थे उनके विचार में राज्य का चरम लक्ष्य मनुष्य को इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम साधन उपलब्ध कराना है। वह

मानते थे कि राज्य अपने आप में साध्य नही है वरन वह मात्र साधन भर है। वे राज्य से एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की उम्मीद करते है, जिसमें सभी मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक सुख से रह सके। उनके विचार में राज्य की स्थिरता के प्रति जनता के सम्मान और उसकी साहनुभूति पर निर्भर करती है। वे कहते थे कि राज्य को मनुष्य और समाज के हितों के लिए एक सेवक की तरह काम करना चाहिए, स्वामी की तरह नहीं। उनकी दृष्टि में मनुष्य की सच्ची स्वतंत्रता तभी है जब राज्य अपने सभी नागरिकों को राजनीतिक मानवाधिकार प्रदान करे। डॉ. अम्बेडकर ने राजनीतिक मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य की केन्द्रीय सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन साधने का प्रयत्न किया। वे ये भी कहते थे कि राज्य केवल शासन करने, लोगो को दवाये रखने के लिये नहीं है। उनके विचार में तो राज्य तभी व्यवाहरिक रूप से राज्य है, जब वह लोगो को राजनीतिक मानवाधिकार की प्राप्ति में सहायक की भूमिका निभाऐ। राजनीतिक मानवाधिकारों द्वारा ही राज्य लोगो का नैतिक व सामाजिक विकास भलीभॉति कर सकता है। राजनैतिक मानवाधिकार प्राप्त होने पर एक समुदाय,दूसरे समुदाय द्वारा सताये जाने से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। डॉ.भीमराव अम्बेडकर पेशे से वकील होने के कारण राजनीतिक मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए कानून की भूमिका पर बल देते थे। उनके विचार में जब जनता को राजनीतिक मानवाधिकार प्राप्त हो जायेगे तो उनमें आपस में बने विभिन्न वर्गो के बीच शांति बनाने में सहायता मिलेगी। राजनीतिक मानवाधिकार स्वतंत्रता और समानता के संरक्षक है। डॉ.भीमराव अम्बेडकर ने राजनीतिक मानवाधिकारों को प्रदान करने के लिऐ ब्रिटिश उदारवाद और प्रजातंत्र की संसदीय प्रणाली से प्रेरणा ग्रहण की। पुरानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजनीतिक मानवाधिकारों के नाम पर शून्य विराजमान था। इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने राजनीतिक मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए भारत में लोकतंत्रात्मक नाम की नयी व्यवस्था लागू की । लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की विशेशता ये होती है कि इस व्यवस्था में राजनीतिक शक्ति राजा के हाथ में न होकर जनता के हाथ में होती है। इस व्यवस्था के माध्यम से राजनीतिक मानवाधिकरों की पहुॅच प्रत्येक नागरिक तक होती हे। उन्होने भारत में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली प्रदान कर सरकार के बनने में देश के अंतिम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित की। उनके अनुसार राजनीतिक मानवाधिकार किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की प्राण वायु है।

राजनैतिक मानवाधिकारों का वर्गीकरणः– डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अनुसार राजनीतिक मानवाधिकारों को निम्न श्रेणियों में बॉटा जा सकता है।

1. राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने मत देने और चुने जाने का अधिकार
2. शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार
3. संगठन (एसोसिएशन) बनाने का अधिकार
4. राष्ट्रीयता का अधिकार
5. शरण पान का अधिकार

राजनैतिक प्रक्रिया में भाग लेने, मत देने और चुने जाने का अधिकार–

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अनुसार– लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ सभी की राजनीति में सहभागिता है इसके लिए जरूरी है कि सभी व्यक्ति राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने में समर्थ हो। इसके लिए वे मानते थे कि राज्य सभी व्यस्को को मताधिकार सुलभ कराये। इसके लिए डॉ.भीमराव अम्बेडकर ने जब वो बम्बई विधानपरिषद के मनोनीत सदस्य थे उस समय उन्होने 1928 ई. में साईमन कमीशन को प्रतिवेदन दिया था। जिसकी उन्होने ब्रिटिश सरकार से भारत में व्यस्क मताधिकार लागू करने की सिफारिश की। इसके साथ ही उन्होने सभी विभेदो (जाति,धर्म,वर्ग एवं लिंग) एवं सम्पत्ति के आधार पर अब तक राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने में आ रहे राजनीतिक भेदभाव की तीव्र भ्रर्त्सना की। भारत के आजाद होने पर जब डॉ.भीमराव अम्बेडकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले मंत्रिमण्डल में पहेल कानून मंत्री बने। साथ ही वे संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इस दौरान उन्होने सभी भारतीयो को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले सकें, इसके लिए भारतीय संविधान में मुकम्मल प्रवधान किये।

अनुच्छेद 326 में प्रवधान है कि–''सभी व्यस्क नागरिकों को मत देना का अधिकार होगा।''[1]प्रसिद्ध संविधानविद् सुभाष कश्यप इसके बारे में कहते है कि–''लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन के लिए सार्वजनीय वयस्क मताधिकार को अपनाना देश की आजादी के बाद की सबसे बडी क्रांति थी।''[2] इस अधिकार ने भूखमरी, अशिक्षा, गरीबी से पीड़ित नव स्वाधिन हुए देश में प्रत्येक व्यस्क नागरिक की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित की।

राजनैतिक पद पाने का अधिकार–

डॉ. भीमराव अम्बेडकर मानते थे कि केवल वोट देने के अधिकार से ही राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सकती, बल्कि प्रत्येक नागरिक को राजनैतिक पद पाने का भी अधिकार होना चाहिए। उनके अनुसार भारत में प्राचीन काल से चली आ रही राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजनैतिक पद सीमित वर्गो तक ही सीमित थे। साथ ही इनकी सबसे बडी कमी ये थी कि ये वंशानुगत थे। इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने आजाद भारत को इसके स्थान पर लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। जिसमें देश का प्रत्येक नागरिक राजनीतिक पद (संरपच,विधायक एवं सांसद) बनने के लिए स्वतंत्र था। राजनैतिक पद पाने के लिए वे भारतीय संविधान में सभी के लिए मुकम्मल प्रवधान करते है। इसके साथ राजनैतिक पद पाने के लिए कुछ शर्ते भी जुडी हुई है।

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए।

इस प्रकार हम देख सकते हे कि सैद्धांति एवं सवैधानिक रूप से तो निर्वाचन में भाग लेकर सभी व्यक्ति राजनैतिक पद पाने के अधिकार से सुशोभित है। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर इस अधिकार को पाने में कुछ बाधाऐ भी है। जिनका इशारा प्रसिद्ध सवंधानविद् सुभाष कश्यप करते है। उनके अनुसार इस अधिकार को प्राप्त करने में निम्न समस्याऐं है।[3]

1. राजनीतिक पद पाने के लिए निर्वाचन में होने वाला भारी खर्च और वह वैधानिक रूप में कहां से आए।
2. निर्वाचन में धनबल, बाहुबल और माफिया शक्ति की आवश्यकता और प्रयोग को कैसे रोका जाऐ।
3. साम्प्रदायिक्ता,जातिवाद,अपराधीकरण और भ्रष्टाचार की समस्याऍं।
4. त्रिशंकु सदन,अस्थिर सरकारें तथा बार–बार जल्दी होने वाले आम चुनाव का भारी खर्च और असुविधा।
5. विशाल निर्वाचन क्षेत्र तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रतिनिधिक चरित्र पर प्रश्नचिन्ह लगभग 70 प्रतिशत निर्वाचितों के विरोध में अधिक मत पड़ते है पक्ष में कम।
6. किन्हीं सिद्धांतों अथवा कार्यक्रमों पर आधारित स्वस्थ राजनीतिक दल व्यवस्था का अभाव तथा बिना अदरूनी लोकतंत्र के सैकडों दलों का अस्तिव।
7. उम्मीदवारों के चयन में जनता को किसी भागीदारी के अवसर न मिलना और दलों के द्वारा चुने गये विकल्पों से चुनने की मजबूरी।

राष्ट्रीयता का अधिकार

राष्ट्रीयता का अधिकार सभी मानवाधिकारों मे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योकि इस अधिकार के अभाव में अन्य अधिकार जीवित नहीं रह सकते है। इसका आशय है कि जब तक आप किसी देश की राष्ट्रीयता ग्रहण नहीं करते है, तब तक वह देश आप को अन्य मानवाधिकार नहीं प्रदान करेगा। डॉ.अम्बेडकर राष्ट्रीयता को संस्कृति से बडा एवं महत्वपूर्ण मानते थे। वे अपने ग्रंथ क्रांति तथा प्रतिक्रांति,बुद्ध अथवा कार्ल मार्कस में राष्ट्रीयता को परिभाषित करते हुए लिखते है कि–'' राष्ट्रीयता व्यक्तिनिष्ठ मनौवेज्ञानिक अनुभूति है। यह अनुभूति जिसमें होती है, वे सब यह अनुभव करते है कि वे सब एक दूसरे के सगे–सम्बंधि है।

राष्ट्रीयता की भावना दूधारी तलवार की तरह होती है। यह अपने संबंधियों के प्रति मैत्री–भाव जगाती है और जो लोग संबंधी नहीं है उनके प्रति अमैत्री भाव जागृत करती है। यह वर्ण चेतना की भावना जो उन सभी लोगो को परस्पर एक सूत्र में बांधती है। जो खून के रिश्तो की सीमा में आते हे और जो इस सीमा में नहीं आते है, उनसे पृथक कर देती है यह एक तरफ अपने वर्ग से जुडे रहने की इच्छा है तो दूसरी तरफ दूसरे वर्ग से न जुडने की ईच्छा है। जिसे राष्ट्रीयता कहा जाता है, उसका यही सार है। अपने ही वर्गो से जुडे रहने की यह इच्छा, जैसा कि मैने कहा, व्यक्तिनिष्ठ मनौवैज्ञानिक भावना है और जो बात खासतौर से याद रखने की है, वह यह है कि अपने ही वर्गो से जुडे रहने की ईच्छा का भूगोल–संस्कृति से या आर्थिक या सामाजिक संघर्ष से कोई सरोकार नहीं होता। कही भौगोलिक एकता हो सकती है लेकिन तो भी जुडने की ईच्छा नहीं हो सकती है, कही–कही यह भी हो सकता है कि आर्थिक संघर्ष और वर्ग विभाजन हो सकते है,लेकिन जुडे रहने की ईच्छा रहे। कहने का सार यह है कि राष्ट्रीयता मुख्य भूगोल, संस्कृति का विषय नहीं है।''[4]

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की राष्ट्रीयता की यह परिभाषा कितनी सही थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में भौगोलिक रूप से जबरदस्त एकता होने उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर होने, के बाद भी भारत भूमि से उसका एक हिस्सा टूटकर एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बना। भारत का भूगोल भारत को एक रखने में असफल साबित हुआ। डॉ.भीमराव अम्बेडकर मानते थे कि राष्ट्रीयता ही वह भावना है जो लोगो को एक बनाकर रख सकती है। राष्ट्रीयता का संबंध नागरिकता से है। डॉ.भीमराव अम्बेडकर भारत में रहने वाले प्रत्येक निवासी को राष्ट्रीयता के दायरे में लाना चाहते थे। जिसके लिए उन्होने भारतीय संविधान में मुकम्मल प्रवधान किये। वे भारत के संविधान के नागरिकता नामक भाग–2 में अनुच्छेद 5 में इसका प्रवधान इस प्रकार करते है–''यदि कोई व्यक्ति संविधान के प्रांरभ पर भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है। उसका या उसके माता–पिता में से किसी एक का भारत में जन्म हुआ हो या वह संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 05 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्यतः निवासी रहा हो तो वह भारत की नागरिकता का अधिकार बन जाता है।''[5]

डॉ. भीमराव अम्बेडकर जितना राष्ट्रीयता को मानते थे, उतनी ही राष्ट्र को भी मानते थे। वे मानते थे शक्तिशाली राष्ट्र ही राष्ट्रीयता के अधिकार की रक्षा कर सकता है। उनकी राष्ट्र की अवधारणा प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री अरनेस्ट रेनन से प्रेरित थी। वे रेनन को उद्धत करते हुए राष्ट्र के बारे बताते है कि– '' राष्ट्र एक जीवित आत्मा है, एक अध्यात्मिक सिद्धांत है। ये दोनो चीजे लगती अलग–अलग है परंतु वास्तविक में ये दोनो एक ही है। एक अतीत है तो दूसरा वर्तमान है एक उच्च सांस्कृतिक विरासत की स्मृति का सामान्य स्वामित्व है तो दूसरा साथ–2 रहने की वास्तविक स्वीकृति एवं संकल्पमय एक ऐसी अभिलाषा जो प्रतिष्ठित तरह से हमें सौपी गई अविभाजित विरासत को बनाए रखना चाहती है। राष्ट्र एक व्यक्ति की तरह लंबे प्रयासों,त्याग एवं लगन का परिणाम है। एक वैभवशाली अतीत, महान व्यक्तियों, गौरव..... ये है सांस्कृतिक पूँजी जिनके आधार पर राष्ट्र की कल्पना पल्लवित होती है। अतीत में सामूहिक गौरव का होना एवं वर्तमान में सामूहिक संकल्पमय अतीत में महान कार्यो को क्रियान्वित करना तथा भविष्य में पुनः ऐसा ही करने का संकल्प राष्ट्र निर्माण हेतु ये मूलभूत अवस्थाए है। अतीत में एक गौरव की विरासत भविष्य में एक सदृश्य अभिष्ट को क्रियान्वित करना, संयुक्त रूप से वेदना को भोगना, आनंद मनाना तथा आशन्वित होना। यह सब भाषायी तथा जातीय भिन्नता के बाद भी समझा जा सकता है। जहॉ तक राष्ट्रीय स्मृतियों की बात है, शोक विजय से अधिक मूल्यावान है क्योकि वे हमारे उपर कर्तव्य आरोपित करते है एवं संयुक्त प्रयास की मांग करते है।'' डॉ. भीमराव अम्बेडकर यही नहीं रूकते वे राष्ट्रीयता और राष्ट्र के बारे में बताने के बाद राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद में अंतर समझाते हुए बताते है कि–''पहली बात यह है कि राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद में फर्क है। ये मानव मस्तिक की दो अलग–अलग मनौवैज्ञानिक अवस्थाऐं है। जहॉ राष्ट्रीयता से तात्पर्य उन लोगो के लिए एक प्रथक राष्ट्रीय अस्तित्व की आकांक्षा जो इस जातीय बंधन में बंधे है। दूसरी और यह सही है कि राष्ट्रीयता की भावना के बिना राष्ट्रवाद हो ही नहीं सकता। परंतु इस बात को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीयता की भावना की मौजूदगी के बावजूद राष्ट्रवाद की सोच सर्वथा अनुपस्थित हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीयता से राष्ट्रवाद उजागर होने के लिए दो शर्ते आवश्यक है। प्रथम, एक राष्ट्र के रूप में रहने की इच्छा का जागृत होना। दूसरी, एक क्षेत्र का होना जिसे राष्ट्रवाद अधिगृहीत कर एक राज्य तथा राष्ट्र का सांस्कृतिक घर बना सके। ऐसे क्षेत्र के अभाव में क्या होगा, इसे स्पष्ट करने के लिए लॉर्ड ऐक्टन की इस उक्ति का उपयोग करना होगा कि–''आत्मा एक ऐसे शरीर की खोज में भटकती है जिसमें वह पुनः जीवन का संचार करे, परंतु उसे न पाने पर वह मर जाती है।''[7]

शरण पाने का अधिकार

प्रत्येक शोषित व्यक्ति को एक सुरक्षित स्थान पर शरण पाने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 1951 ई. के अभिसमय में दी गयी परिभाषा के अनुसार–''शरणार्थी वह व्यक्ति है जो जाति धर्म या राष्ट्रीयता किसी सामाजिक दल की सदस्यता का राजनीतिक मत के आधार पर उत्पीड़न के भय से अपने गृह देश से बहार है।''[8] भारतीय संस्कृति में पहले से ही अतिथि देवोःभवः के सिद्धांत के अनुसार मुसीबत के समय में शरण में आये व्यक्ति को शरण देने की एक लम्बी परम्परा रही है। प्राचीन काल में राजतंत्र के समय में भी एक राजा ने विपत्ति में घिरे राजा को शरण देकर शरण पाने के अधिकार की रक्षा की। आधुनिक काल में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने मुसीबत में घिरे अल्पसंख्यकों के संरक्षण व शरण पाने के अधिकार का भारतीय संविधान में समुचित प्रवधान किये है।

शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। आजादी के बाद डॉ.भीमराव अम्बेडकर इस अधिकार की समुचित व्यवस्था भारतीय संविधान में सभी के लिए करते है। उनके अनुसार सॅभाऐ और प्रर्दशन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण होते है। इन्ही के द्वारा जनता को अपनी विचारधारा व सरकार के दमनात्मक कानूनों के प्रति जागरूक किया जा सकता है। इसलिए डॉ.भीमराव अम्बेडकर संविधान के मौलिक अधिकार नामक भाग–3 में

अनुच्छेद 19(1)(ख) में प्रवधान करते है कि–''भारत के सभी नागरिकों को बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है।''[9]इस अधिकार के परिणाम स्वरूप आजाद भारत के लोगो को सार्वजनिक सभा करने, प्रदर्शन करने और शांतिपूर्वक जुलूस निकालने का अधिकार प्राप्त हुआ। हालाकि यह अधिकार निरंकुश नहीं है, इस पर राज्य हित में राज्य सत्ता रोक लगा सकती है। इस बारे में इसकी सीमाओं पर संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप लिखते है कि– ''राज्य भारत की संप्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में इस अधिकार पर विधि द्वारा ऐसे युकितयुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते है। जो समय–समय पर आवश्यक समझे जाए।
अतः ऐसे सम्मेलन पर जिसे विधि विरूद्ध घोषित कर दिया गया हो विधि के अनुसार रोक लगाई जा सकती है और उसमें जमा लोगों को तितर–बितर होने का आदेश दिया जा सकता है।''[10]

संगठन (एसोसिएशन) बनाने का अधिकार

यह अधिकार राजनैतिक मानवाधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लोकतंत्र में राजनैतिक दल सबसे महत्वपूर्ण होते है। उनका संगठन बनाने के अधिकार से ही जन्म होता है। डॉ. अम्बेडकर कहते थे कि लोकतंत्र में किसी भी राजनैतिक पद को पाने के लिए संगठन बनाना अनीर्वाय होता है। उन्होने स्वयं भी अपने जीवन में तीन राजनीतिक संगठन (1935 ई.में स्वतंत्र मजदूर दल,1942 ई. में शिड्यूल कास्ट फेडरेशन एवं 1956 ई.में रिपलिकन पार्टी ऑफ इण्डिया) की स्थापना की । वे खुद अनेक राजनैतिक पदों पर रहे इनमें से कुछ पद निम्न थे।

1. बम्बई विधान परिषद के मनोनीत विधायक एवं बम्बई विधानसभा के निर्वाचित विधायक का पद
2. अंग्रेजी की कार्यकारिणी कौन्सिल के श्रम मंत्री
3. काग्रेस के मंत्रिमण्डल में कानून मंत्री का पद

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने सभी भारतीय को संगठन बनाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान में मुकम्मल प्रवधान किये है। उन्होने संविधान के मौलिक अधिकार नामक भाग तीन के अनुच्छेरद 19 (1) (ग) में प्रवधान किया है कि– ''भारत के सभी नागरिकों को संगम तथा संघ बनाने के अधिकार की गारंटी दी है।''[11] इसी अधिकार के मिलने के कारण कोई भी राजनैतिक दल, समिति,क्लब,कम्पनी, संगठन एवं मजदूर संघ अपने संगम कर सकते है। लेकिन इस अधिकार की कुछ सीमाएं भी है। राज्य भारत की संप्रभुता तथा अखण्डता, लोक व्यवस्था या सदाचार के हित में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है।

संदर्भ

1. सुभाष कश्यप, हमारा संविधानः भारत का संविधान और संवैधानिक विधि,नेषनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया,नई दिल्ली, संस्करणः 2006, पृष्ठ–253
2. वही
3. वही 1, पृष्ठ–257
4. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्ध अथवा कार्ल मार्कस आदि,डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाड्मय, खड–7, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, भारत सरकार, नई दिल्ली, आठवा संस्करणः 2014, पृष्ठ–197
5. सुभाष कश्यप, हमारा संविधानः भारत का संविधान और संवैधानिक विधि, उपरोक्त पृष्ठ–70
6. प्रो.विवेक कुमार–अषोक दास,सम्पादन,दास पब्लिकेषन, दिल्लीः 2016, पृष्ठ–32
7. यषवंत सोनटक्के, सम्पादन, डॉ. अम्बेडकर के विचार उपरोक्त, पृष्ठ– 187–188
8. डॉ. श्याम किषोर कपूर,मानव अधिकार,सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहबाद, संस्करणः 2015, पृष्ठ–150
9. सुभाष कश्यप, हमारा संविधानः भारत का संविधान और संवैधानिक विधि, उपरोक्त, पृष्ठ–100
10. वही 9, पृष्ठ–100
11. वही 9, पृष्ठ–100

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.